न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18 / 2009	16.03.2009	20.05.2026

1. बालकिशन सिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी सुखवास तहसील खण्डार जिला स0मा0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, सवाईमाधोपुर।
2. सचिव महोदय, कृषि उपज मण्डी नई अनाज मण्डी शहर सवाईमाधोपुर।
3. सहायक अभियन्ता कृषि विपणन विभाग सवाईमाधोपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :—

श्री नागाराम मीना अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री धर्मेन्द्र चौधरी, अंजनी कुमार तेहरिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

   - यह कि वादी ग्राम सुखवास का निवासी है तथा काश्तकार पेशा है एवं प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार के अधिकारीगण है

   - यह कि प्रतिवादीगण ने ग्राम छाण में कृषि गोण मण्डी बनाने के लिये वादी की खसरा नम्बर 871/1 रकबा 2 बीघा जमीन अवाप्त की थी तथा अन्य व्यक्तियों की भूमि जो खसरा नम्बर 871/1 में स्थित है अवाप्त की है ।इस प्रकार गोण कृषि मण्डी ग्राम छाण बनाने के लिये प्रतिवादीगण ने कुल 17 बीघा एक बिस्वा जमीन नम्बर 871 में अवाप्त की है जिसमें कृषि गोणमण्डी भवन का निर्माण करना शुरू प्रतिवादीगण ने कर दिया है ।

   - खसरा नम्बर 871 अवाप्त शुदा जमीन के पास वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 1364/870 रकबा 0.11 बिस्वा वाके ग्राम छाण में स्थित है जिसको वादी बहुत समय पूर्व से बहेसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है जिसका प्रतिवादीगण से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है । जमाबन्दी सं0 2065 से 2068 व खसरा गिरदावरी सं0 2065 साथ में पेश है ।

   - प्रतिवादीगण गोण मण्डी का निर्माण खसरा नम्बर 871 पर करते हुये वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा व 1364/870 रकबा 11 बिस्वा पर भी अतिक्रमण कर गोण मण्डी का निर्माण करना चाहते है । क्योकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 871 के पास है । इसी उदेश्य की पूर्ति में प्रतिवादीगण ने दिनांक 26.2.2009 को सुबह 11 बजे मजदूरो को ले जाकर नीव खोदना खसरा नम्बर 870/1/मिन 1/1 व खसरा नम्बर 1364/870 में शुरू

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

कर दिया। वादी को गांव में जानकारी मिली तो वादी प्रतिवादीगण के पास गया तथा वादी की उक्त विवादित आराजीयात में नीव खोदने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि यदि हमारे काम में व्यवधान उत्पन्न किया तो पुलिस में केस दर्ज करा देंगे तथा वादी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी खण्डार को काम रुकवाने बाबत प्रस्तुत किया । तहसीलदार जी खण्डार ने पटवारी हल्का से मौका स्थिति की जांच करवाई । जिसमें पटवारी हल्का ने दिनांक 2.3.09 को मौके परपहुँच कर जांच रिपोर्ट तैयार की तथा प्रतिवादीगण द्वारा 871 के साथ वादी की खातेदारी की विवादित आराजीयात पर भी निर्णय करनापाया गया। इसके बाद भी प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की भूमि से निर्माण कार्य बन्द नहीं किया तथा नीव खोदना चालू रखा जिसका अधिकार प्रतिवादीगण को बिना वादी की भूमि अवाप्त किये नहीं है ।

- प्रतिवादीगण के अवाप्त की गई भूमि खसरा नम्बर 871/1 कुल रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम छाण में स्थित है जिसमें वादी की भी 2 बीघा भूमि है। उक्त जमीन के पूर्व में वादी की अन्य जमीन खेत खसरा नम्बर 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा व 1364/870 रकबा 11 बिस्वा एक खेत के रूप में है इसमें वादी को आने जाने का एक मात्र रास्ता पश्चिम दिशा में सवाईमाधोपुर खण्डार रोड से अवाप्त की गई भूमि मे से होकर वादी अपनी अवाप्त शुदा भूमि से होकर विवादित आराजी तक हाकने जोतने आता है। इसके अलावा अन्य रास्ता नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण ने बाउन्ड्री वॉल बनाकर रास्ता चारों ओर रोक लिया है। जिससे वादी के खेती काश्त करने मे परेशानी आयेगी तथा उक्त जमीन का उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए प्रतिवादीगण को चारों ओर डोल लगाकर रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है।

- वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें । क्योंकि वादी के अधिकारो पर कुठाराघात है यही कारण है कि दावा करना लाजिम आ।

- बिनाय दावा दिनांक 26.2.09 को वादी की विवादित आराजीयात पर अवैध तरीके से जबरन नीव खोदने के दिनसे तथा प्रतिवादीगण द्वारा नहीं मानने के दिनसे हर हदूद वाला उत्पन्न हुआ है ।

- दावा श्रीमान् को श्रवण करने का अधिकार है ।

- दावा अन्दर म्याद उचित कोर्ट फीस पर पेश है ।

- दावा राजस्थान सरकार के अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें दो माह का नोटिस दिया जानाआवश्यक है लेकिन उक्त प्रकरण आवश्यक नेचर का होने के कारण श्रीमान् की पूर्व इजाजत से उक्तदावा पेश किया जा रहा है ।

- दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमायाजावें ।

  (क) यह कि आराजी खसरा नम्बर 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा व खसरा 1364/870 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम छाण वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं है वादी प्रतिवादीगणको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है, फरमाया जावें

  (ख) वादी प्रकरण वादी को प्रतिवादीगण से फरमाया जावे ।

  (ग) अन्य दादरसी जो मुफीद वादी हो अता फरमाई जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

(घ) प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि रास्ता छोड़कर निर्माण कार्य करें एवं कर लिया है तो प्रतिवादीगण के खर्चे से निर्माण हटवाकर वादी को रास्ता दिलवाया जावें।

2. वादी के दावा को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया।

3. वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दिनांक 17.06.2009 को इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी 3 सहवन से सहायक अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सवाईमाधोपुर के स्थान पर सहायक अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड गंगापुर सिटी लिख दिया गया है। इसलिए वादपत्र के टाईटल में प्रतिवादी संख्या 3 में सहायक अभियन्ता राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड सवाईमाधोपुर संशोधित किया जावें। वादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2009 को स्वीकार किया जाकर पत्रावली संशोधित टाईटल हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 03 को तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया।

4. वादी द्वारा दिनांक 23.09.2009 को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी इस आशय का पेश किया गया कि वाद पत्र के मद संख्या 4 के बाद (4क) में यह जोड़ा जावें कि प्रतिवादीगण को चारों ओर डोल लगाकर रास्ता रोकने का अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है। दिनांक 02.04.2012 को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2009 आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को स्वीकार किया गया। वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश किया गया।

5. प्रतिवादीगण द्वारा संशोधित जबाव वादपत्र पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

- यह है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद पत्र वादी द्वारा गलत तथ्यों पर पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा अवाप्त की गई भूमि पर ही निर्माण कार्य किया गया है अन्य किसी भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। निर्माण कार्य पर लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं तथा बाउन्ड्री वाल का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

- यह है कि वादी इस दावे की आड़ में प्रतिवादीगण द्वारा अवाप्त की गई भूमि जिसका रूपया प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारो का दिया जा चुका है। उस भूमि को जबरन वापिस छिनने के लिए झूठा दावा वादी द्वारा पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। वादी अवाप्त शुदा जमीन का मुआवजा प्राप्त कर चुका है। इसलिए उजरदाता को अधिकार प्राप्त है कि वादी को पाबन्द करावें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण के छाण गौण मण्डी यार्ड के निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

- प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नं. 871/2 खसरा नं. 871/1/1 तथा 871/1 जो कि नेनगा पुत्र परसा नन्ददेवी राजपूत महेशचन्द, रमेशचन्द, सुरेशचन्द, बालकिशन सिंह, हरिप्रिया पत्नि रमेशचन्द की अवाप्त की गई भूमि 17 बीघा 1 बिस्वा है। जिसमें ही गौण मण्डी छाण का निर्माण किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा 870/1 मिन 1/1 व खसरा नं. 1364/870 में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। केवल प्रतिवादीगण द्वारा अवाप्त की गई भूमि को हड़पने के लिए झूठा दावा पेश किया गया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

- यह है कि कृषि मण्डी छाण की अवाप्त की गई भूमि के अन्दर से वादी के आने जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 3 द्वारा कृषि मण्डी छाण के बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य किया गया तथा उक्त निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसलिए उक्त अवाप्त की गई भूमि में होकर आम रास्ते का होना प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
- अतः जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावें।

6. वाद पत्र जबाव दावा उपरान्त तनकीयात हेतु नियत किया गया है। पर्चा तनकीयात विवेचित कर निम्नानुसार कायम की गई है।

    1. आया ग्राम छाण की आराजी खसरा नं0 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नं01364/870 रकबा 11 बिस्वा वादी की खातेदारी भूमि है ? (वादी)
    2. आया ग्राम छाण की आराजी खसरा नं0 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नं01364/870 रकबा 11 बिस्वा जो वादी की खातेदारी भूमि है के किसी भाग पर निर्माण कार्य किया गया है? (वादी)
    3. आया ग्राम छाण की आराजी खसरा नं0 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नं01364/870 रकबा 11 बिस्वा का कोई भाग अवाप्त नहीं किया गया है? यदि हाँ तो क्या वादी द्वारा अवाप्त किये गये रकबे का मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है? (प्रतिवादीगण)
    4. आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का अधिकारी है? (वादी)

7. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गयें जिसमें PW1 के रूप में बालकिशनसिंह पुत्र चतर सिंह राजपूत के बयान लिए तथा जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता संख्या 231 सम्बत् 2065–2068 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2065–68 पेश की गई। जो प्रदर्श–2 है। साक्ष्य वादी पूर्ण होने पर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई।

8. प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाव वाद पत्र के समर्थन में शपथ पेश किये गये जिसमें DW1 के रूप में दिलीप कुमार मीना सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सवाईमाधोपुर के बयान लिए तथा जिरह वकील वादी द्वारा की गई। साक्ष्यप्रतिवादी पूर्ण होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

9. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस में तर्क किया गया कि कृषि उपज मंडी द्वारा बिना अवाप्ति की कार्यवाही किए दिनांक 26.02.2009 को वादी की खातेदारी कि आराजी खसरा नंबर 870/1/मिन1/1 रक़बा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 1364/870 रक़बा 11 बिस्वा में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त निर्माण कार्य को रुकवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसकी जाँच में पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है की कृषि उपज मंडी द्वारा वादी के खसरे में निर्माण कार्य किया गया है इसलिए प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजी पर पहुँच हेतु रास्ते को भी बंद कर दिया गया जिसे वापस चालू करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

10. वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब बहस में तर्क किया गया कि वादी द्वारा ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो की प्रतिवादी द्वारा आराजी खसरा नंबर 870/1/मिन1/1 व 1364/870 में निर्माण कार्य किया गया हो। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक था जिसके अभाव में दावा ख़ारिज योग्य है। विवाद की मुख्य बिंदु रास्ते को लेकर है न की बाउंड्री वॉल को लेकर है जो कि वादी द्वारा जिरह में भी स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अवाप्त शुदा भूमि में ही निर्माण कार्य किया है इसलिए दावा ख़ारिज किया जावे। वकील वादी द्वारा प्रत्युत्तर बहस में तर्क किया कि वादी यदि 2 माह का इंतज़ार करते तो निर्माण कार्य पूरा हो जाता इसलिए वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था।

11. पत्रावली का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, बयान, तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा में अन्त में अंकित किया गया है कि जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावें। किन्तु काउन्टर क्लेम निर्धारित कोर्ट फीस के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए केवल जवाब दावे के रूप में पढ़ा जावें। तनकीयात कायम किये जाने पर विवेचित तनकीयात पर निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी नम्बर 1 :– आया ग्राम छाण की आराजी खसरा नं0 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नं0 1364/870 रकबा 11 बिस्वा वादी की खातेदारी भूमि है।

यह तनकी साबित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से दावा प्रस्तुत करते समय नकल जमाबन्दी सम्बत् 2065–2068 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार बालकिशन पुत्र चतरसिंह राजपूत आराजी खसरा नं0 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नं0 1364/870 रकबा 11 बिस्वा वांके ग्राम सुखवास के खातेदार अंकित है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी आराजी खसरा नम्बर 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा एव खसरा नम्बर 1364/870 रकबा 11 बिस्वा के खातेदार सिद्ध होते है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 ::– आया ग्राम छाण की आराजी खसरा नं0 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नं0 1364/870 रकबा 11 बिस्वा जो वादी की खातेदारी भूमि है के किसी भाग पर निर्माण कार्य किया गया है।

यह तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। उक्त के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथ पत्र PW–1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण ने उनकी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 870/1/मिन1/1 रक़बा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 1364/870 रक़बा 11 बिस्वा में नींव खोदना शुरू कर दिया। प्रतिवादीगण को मना किया तो वह नहीं माने तब वादी द्वारा काम रुकवाने के लिए तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र पेश किया तब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्के से मौक़े की जाँच करवायी तो पटवारी हल्का ने दिनांक 02.03.2009 को रिपोर्ट तैयार कर पाया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के अन्य खातेदारी 1364/870 व 870/1/मिन1/1 पर भी अतिक्रमण कर लिया। जिरह में वादी द्वारा स्वीकार किया गया है जिस खसरे के लिये वह वाद लेकर आया है उस खसरा नंबर की तरमीम नहीं हो रही है। प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र DW–1 सचिव कृषि उपज मंडी समिति सवाई माधोपुर का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 871/2, 871/1/1 तथा 871/1 जो की नैनगा पुत्र परस्या, नन्दा देवी राजपूत,

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

महेशचन्द, रमेशचन्द, सुरेशचन्द, बालकिशन सिंह, हरिप्रिया पत्नी रमेशचंद की अवाप्त कि गई भूमि 17 बीघा 1 बिस्वा है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 870/1/मिन1/1 व खसरा नंबर 1364/870 में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अवाप्त शुदा भूमि का मुआवज़ा प्रतिवादीगण द्वारा काश्तकारों को दिया जा चुका है। जिरह में गवाह DW-1 ने कथन किया है कि खसरा नंबर 1364/870 उनके द्वारा अवाप्त नहीं किया गया था। जब मंडी का निर्माण हुआ तब गवाह वहाँ पदस्थापित नहीं था इसलिए यह नहीं बता सकता तब क्या किया होगा।

वादी ने अपने वाद पत्र व बयान में तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया है किंतु उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा पटवारी रिपोर्ट में कृषि उपज मंडी द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण करना बताया है किंतु उक्त रिपोर्ट की भी कोई प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी द्वारा केवल छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमे भी यह स्पष्ट नहीं है की क्या कथित पटवारी रिपोर्ट तैयार करते समय कृषि उपज मंडी की अवाप्तशुदा भूमि या विवादित आरजी का सिमज्ञान किया गया था। वादी द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सिद्ध हो की कृषि उपज मंडी द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के अलावा निर्माण कार्य किया गया हो। वादी द्वारा केवल स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे भी यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की तरमीम नहीं है। वादी यह सिद्ध करने में असफल रहे कि कृषि उपज मंडी द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के अलावा वादी की आराजी में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– आया ग्राम छाण की आराजी खसरा नं0 870/1 मिन 1/1 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नं0 1364/870 रकबा 11 बिस्वा का कोई भाग अवाप्त नहीं किया गया है। यदि हाँ तो क्या वादी द्वारा अवाप्त किये गये रकबे का मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था की आराजी खसरा नंबर 870/1/मिन1/1 रक़बा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 1364/870 रक़बा 11 बिस्वा को कोई भाग अवाप्त नहीं किया गया है। दोनों ही पक्ष द्वारा अवाप्ति संबंधी कोई भी दस्तावेज वादपत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र DW-1 सचिव कृषि उपज मंडी समिति सवाई माधोपुर का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 871/2, 871/1/1 तथा 871/1 में अवाप्त कि गई भूमि 17 बीघा 1 बिस्वा है। इस प्रकार पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे यह प्रतीत हो की आराजी खसरा नंबर 870/1/मिन1/1 रक़बा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 1364/870 रक़बा 11 बिस्वा का कोई भाग अवाप्त किया गया हो। उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर :–4 आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का अधिकारी है।

यह तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी संख्या 2 वादी के ख़िलाफ निर्णित की गई है इसलिए वादी बाउंड्री वाले के निर्माण के संबंध में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। आगे वादी द्वारा अपने वादपत्र की मद संख्या 4(क) व शपथ पत्र की मद संख्या 3 में कथन किया है कि वादी अपनी अवाप्त शुदा भूमि से होकर विवादित आराजी तक हांकने जोतने आता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

है। लेकिन प्रतिवादीगण ने बाउंड्री वॉल बनाकर रास्ता रोक दिया है इसलिए प्रतिवादी को पाबंद किया जावे की वह रास्ता छोडकर निर्माण कार्य करे। वादी ने रास्ते के संबंध में कोई भी नक्शा या अन्य दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए है। वादी ने स्वयं की अवाप्त शुदा भूमि में से रास्ता होना बताया है। वादी PW-1 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि अवाप्त भूमि की राशि उन्हें मिल चुकी है। यदि वादी की अवाप्त कि जा रही भूमि में कोई रास्ता था तो उक्त के संबंध में वादी को विधिवत रूप से भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष मुआवजा राशि प्राप्त करने से पूर्व आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। वादी अवाप्त शुदा भूमि की राशि प्राप्त कर चुके है। इसलिए अब वह उक्त भूमि में से रास्ते हेतु प्रतिवादी को पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

12. चूकि तनकी संख्या एक वादी एवं तनकी संख्या 2 लगायत 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है, अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में खारिज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

13. वादी का वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)